ए.

मेसर्स टी. एच. शार्प इंजीनियर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

संघवी मूवर्स लिमिटेड (2020 की सिविल अपील संख्या 296) 19 सितंबर, 2022

बी.

[इंदिरा बनर्जी और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:एस. 9-निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की शुरुआत-सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता-समझौते के अनुसार, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को किराए पर एक क्रेन दी-प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी पर 03.01.2013 और <आई. डी. 8 के बीच Rs.38,84,709/- के योग के लिए चालान उठाए-<आई. डी. 3 पर, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी-कंपनी को चालानों के भुगतान के लिए बंद करने के लिए वैधानिक नोटिस जारी किया-अपीलार्थी ने <आई. डी. 7 पर नोटिस का जवाब दिया, प्रत्यर्थी के प्रति अपने दायित्व को स्वीकार करते हुए-प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक समापन याचिका दायर की जिसे दोषों को दूर करने के लिए पहली बार वापस कर दिया गया था।8(1) आई. बी. सी. ने अपीलार्थी से अपना बकाया चुकाने का आह्वान किया-30.03.2018 पर, प्रत्यर्थी ने यू/एस. याचिका दायर की।9 एन. सी. एल. टी. में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. की याचिका, जिसे सीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया गया था-प्रतिवादी ने एन. सी. एल. ए. टी. से संपर्क किया जिसने एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया और मामले को प्रवेश के लिए एन. सी. एल. टी. को वापस भेज दिया-एन. सी. एल. ए. टी. ने निर्देश दिया कि मामले को स्वीकार करने से पहले, प्रतिवादी के लिए अपीलकर्ता के साथ मामले को निपटाने और एस. के तहत आवेदन करने का अधिकार खुला रहेगा।9 जब आई. बी. सी. लागू हुआ तो 01.12.2016 पर अपीलार्थी को उपार्जित किया गया और इसलिए आवेदन यू/एस।9 अपीलार्थी द्वारा दायर की गई याचिका उपार्जित आवेदन करने के अधिकार की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर है-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित:एक समानांतर मंच में कार्यवाही का लंबित होना आवेदन दायर करने में देरी का पर्याप्त कारण नहीं है।9 आई. बी. सी. की-सामग्री तिथि वह है जिस पर मुकदमा दायर करने का अधिकार अर्जित किया गया था और यदि कार्रवाई का कारण जारी रहा-जब तक आवेदन दायर किया गया था, तब तक दावा सीमा द्वारा वर्जित हो गया था जैसा कि समापन याचिका में किए गए अभिकथनों से स्पष्ट है, कि 07.11.2013 के बाद दायित्व की कोई स्वीकृति नहीं थी और

अंतिम भुगतान जून 2013 में किया गया था-एस. एस. द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।14 और सीमा अधिनियम के 18 ए के रूप में

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

922

923

मेसर्स शार्प टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.संघवी मूव्स लिमिटेड ए

अंतिम स्वीकृति 2013 में थी और उच्च न्यायालय को न तो समापन आवेदन पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र के किसी भी दोष का सामना करना पड़ा और न ही समान प्रकृति के किसी अन्य कारण के लिए समापन आवेदन पर विचार करने में असमर्थ रहा-उच्च न्यायालय में कार्यवाही शुरू करने से एन. सी. एल. टी. में सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए कार्यवाही शुरू करने की सीमा नहीं बचेगी-एन. सी. एल. ए. टी. का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है।

बी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि **1.** आवेदन या अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए पूर्ववर्ती शर्त, पर्याप्त कारण का अस्तित्व है।देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण "पर्याप्त कारण" होगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।कदम उठाने में देरी के लिए अपीलार्थी/आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है।जब सीमा के आधार पर आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाती है, तो आवेदन दायर करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण बनाने की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर होती है।आई. बी. सी. के प्रवर्तन की तारीख और/या वह तारीख जिस पर आई. बी. सी. के तहत पहली बार आवेदन दायर किया जा सकता था, सीमा की गणना में प्रासंगिक नहीं हैं।यह मानना बेतुका होगा कि सी. आई. आर. पी. को आई. बी. सी. की धारा **7** या धारा **9** के तहत आवेदन दायर करके शुरू किया जा सकता है, उस तारीख से तीन साल के भीतर जिस दिन आई. बी. सी. के उन प्रावधानों के

तहत पहली बार एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन किया जा सकता था, भले ही मुकदमा करने का अधिकार दशकों पहले प्राप्त हुआ हो।[पारस **16** और **17] [928-ई-जी]**

सी.

डी.

ई.

2. यह तथ्य कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन, आई. बी. सी. के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रवर्तन की तारीख से तीन साल के भीतर दायर किया गया हो सकता है, महत्वहीन है।क्या सामग्री है वह तारीख जिस पर मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है, और क्या कार्रवाई का कारण जारी रहता है।आई. बी. सी. की धारा **9** के तहत आवेदन दायर करने में देरी के लिए प्रतिवादी द्वारा एक समानांतर मंच में कार्यवाही का लंबित होना पर्याप्त कारण नहीं है। जब तक आवेदन दायर किया गया, तब तक दावा सीमितता से वर्जित हो गया था।भुगतान की मांग करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा जारी दिनांक **24.05.2014** के एक नोटिस में, यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता अपने बकाया का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था।

एफ.

जी.

एच.

रुपये की मासिक किश्तें **8,48,053 -**हालाँकि, अपीलार्थी ने जून, **2013** के महीने के लिए एक किस्त के भुगतान के बाद चूक की थी।**[**पारस **18-20] [929-A-C]**

3. समापन याचिका के कथनों से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि **07.11.2013** के बाद दायित्व की कोई स्वीकृति नहीं थी।अंतिम भुगतान जून **2013** में किया गया था। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि सीमा अधिनियम के प्रावधान आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर लागू होते हैं।सीमा अधिनियम की धारा **14 (2)** जो कुछ परिस्थितियों में सीमा की अवधि की गणना में समय के अपवर्जन का प्रावधान करती है।इसी तरह, सीमा अधिनियम की धारा **18** के तहत, विरोधी पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लिखित रूप में की गई और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित वर्तमान निर्वाह दायित्व की स्वीकृति, उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव डालती है, जिस दिन स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।हालांकि, सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए।एक ऐसे मंच में सद्भावना से कार्यवाही जिसमें अधिकार क्षेत्र का अभाव है या जो समान प्रकृति के लिए मनोरंजन करने में असमर्थ है,

सीमा को बचा सकती है।इसी तरह, दायित्व की स्वीकृति का प्रभाव सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का हो सकता है।इस मामले में, अंतिम स्वीकृति **2013** में थी और मद्रास उच्च न्यायालय को न तो समापन आवेदन पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र के किसी भी दोष का सामना करना पड़ा और न ही समान प्रकृति के किसी अन्य कारण के लिए समापन आवेदन पर विचार करने में असमर्थ रहा।**[**पैरा **21** और **23-26] [930-F-G; 931-C, F-H; 932-A-B]**

बी.

सी.

डी.

ई.

4. मद्रास उच्च न्यायालय में समापन कार्यवाही शुरू करने की सीमा उस तारीख को बंद हो गई जिस दिन समापन याचिका दायर की गई थी।मद्रास उच्च न्यायालय में कार्यवाही शुरू करने से आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **7** के तहत एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** में सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** शुरू करने के लिए कार्यवाही शुरू करने की सीमा नहीं बचेगी। किसी दावे को सीमा द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है।यह दावे की प्राप्ति का उपाय है, जो सीमा से बाधित हो जाता है।एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.** का विवादित आदेश कानून में अस्थिर है।हालाँकि, यह निर्णय प्रत्यर्थी को किसी अन्य उपाय का अनुसरण करने से नहीं रोकेगा जिसका प्रत्यर्थी कानून के अनुसार लाभ उठाने और/या कानून के अनुसार किसी भी लंबित कार्यवाही को आगे बढ़ाने का हकदार हो सकता है। **[**पारस **28,29** और **31] [932-**ई**-**जी**]** ए

एफ.

जी.

एच.

925

मेसर्स टी. एच. शार्प इंजीनियर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.संघवी मूव्स लिमिटेड ए

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनामपराग गुप्ता और

एसोसिएट्स **(2019) 11** एससीसी **633:[2018] 12** एससीआर **794;**

राधा एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनामके. पी. जयराम और

अन्र (2020) 10 एस. सी. सी. 538:[2020] 8 एस. सी. आर. 272; बाबुलाल

वर्धरजी गुर्जर बनाम वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज

प्राइवेट लिमिटेड और एन**.** आर**. (2020) 15** एससीसी **1:[2020] 10**

बी.

स्केल **48;** रामलाल**,** मोतीलाल और छोटेलाल बनाम रीवा

कोलफील्ड्स लिमिटेड ए. आई. आर 1962 एस. सी. 361:[1962] एस. सी. आर. 762; कृष्णा बनाम चथप्पन 1889 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 1-पर भरोसा किया।

संदर्भित विधि निर्णय

सी.

[2018] 12 एससीआर **794**

उस पर भरोसा करें

पैरा **9**

[2020] 8 एससीआर **272**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

[2020] 10 स्केल **48**

उस पर भरोसा करें

पैरा **13**

[1962] एससीआर **762**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

डी.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 296

2020.

2019 के कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.118 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली के दिनांक 23.07.2019 के निर्णय और आदेश से।

ई.

नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, जायेश डोलिया, आर. चंद्रचूड़, आर. वी. प्रभात, निखिल एस. नायर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

शिखिल शिव सूरी, श्रीमती मधु सूरी, टी. आर. बी. शिवकुमार, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 62 के तहत यह अपील, जिसे इसके बाद "आई. बी. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.), नई दिल्ली द्वारा 23 जुलाई 2019 को पारित एक फैसले और आदेश के खिलाफ है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 2019 की अनुमति दी गई है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.), चेन्नई द्वारा 2 जनवरी 2019 को पारित एक आदेश को दरकिनार कर दिया गया है, जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने प्रतिवादी द्वारा दायर एक आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज कर दिया था।

जी.

एच.

2. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी द्वारा और उनके बीच निष्पादित एक समझौते के अनुसार, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई. ओ. सी. एल.) के स्थल पर उपकरण के निर्माण के लिए 150 एम. टी. क्रेन किराए पर दी। प्रत्यर्थी/परिचालन लेनदार ने 3 जनवरी 2012 और 4 मार्च 2013 के बीच अपीलार्थी पर Rs.38,84,709/- की राशि के लिए चालान जुटाए।

बी.

3. 6 मई 2013 को या उसके आसपास, प्रत्यर्थी ने बकाया किराया शुल्क के भुगतान के लिए अपीलार्थी को नोटिस जारी किया।17 मई 2013 के पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने उक्त नोटिस का जवाब दिया।आगे पत्राचार हुआ।

4. अंततः, 14 अक्टूबर 2013 को, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी-कंपनी को बंद करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई), 434 और 439 के तहत अपीलार्थी को एक वैधानिक नोटिस जारी किया।अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के प्रति अपने दायित्व को स्वीकार करते हुए 7 नवंबर 2013 को नोटिस का विधिवत जवाब दिया।

सी.

5. 9 नवंबर 2013 को, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से अपने बकाया का भुगतान करने का आह्वान किया।24 मई 2014 को, प्रत्यर्थी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई), 434 और 439 के तहत एक वैधानिक नोटिस जारी किया, जिसमें अपीलार्थी को क्रेन किराया शुल्क के लिए Rs.38,84,709/- का भुगतान करने के लिए कहा गया।

डी.

6. 22 दिसंबर 2015 को या उसके आसपास, प्रतिवादी ने मद्रास उच्च न्यायालय में 4 जुलाई 2015 को एक समापन याचिका दायर की।5 जनवरी 2016 को, उच्च न्यायालय ने दोषों को दूर करने के लिए प्रतिवादी को समापन याचिका वापस कर दी।समापन याचिका का प्रतिनिधित्व 3 फरवरी 2016 को किया गया था, लेकिन 24 मई 2016 को दोषों का पालन करने के लिए एक समर्थन के साथ फिर से वापस कर दिया गया जैसा कि पहले सूचित किया गया था।7. आई. बी. सी. 1 दिसंबर 2016 को लागू हुआ। इसके बाद प्रत्यर्थी ने 14 नवंबर 2017 को धारा 8 (1) के तहत एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें अपीलार्थी से अपना बकाया चुकाने का आह्वान किया गया।

ई.

एफ.

8. 30 मार्च 2018 को प्रत्यर्थी ने एन. सी. एल. टी. में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत सी. पी./724/(आई. बी.)/2018 याचिका दायर की। 20 जून 2018 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने रजिस्ट्री को अपीलार्थी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

जी.

9. 2 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने निर्भरता ए को रखते हुए आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया।

एच.

मेसर्स शार्प टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.संघवी मूवर्स लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय पर।

v. पराग गुप्ता और एसोसिएट्स **1.**आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **9** के तहत आवेदन को तदनुसार खारिज कर दिया गया था।

10. प्रतिवादी ने आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत एन. सी. एल. ए. टी. में अपील की। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, एन. सी. एल. ए. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत प्रत्यर्थी के आवेदन को खारिज करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा 2 जनवरी 2019 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है और पक्षकारों को नोटिस देने के बाद मामले को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को स्वीकार करने के लिए भेज दिया है।एन. सी. एल. ए. टी. ने निर्देश दिया कि मामले को स्वीकार करने से पहले, यह प्रतिवादी के लिए अपीलार्थी के साथ मामले को निपटाने के लिए खुला होगा।एन. सी. एल. ए. टी. ने कहाः-

बी.

सी.

“8. वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि 1 दिसंबर, 2016 को अपीलार्थी को उपार्जित धारा 9 के तहत आवेदन करने का अधिकार, जब 'आई एंड बी कोड' लागू हुआ था।इसलिए, हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दायर धारा 9 के तहत आवेदन अर्जित आवेदन करने के अधिकार की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर है।”

डी.

11. सीमा के उद्देश्य से, प्रासंगिक तिथि वह तारीख है जिस पर मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है जो वह तारीख है जब एक डिफ़ॉल्ट होता है।

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में, एन. सी. एल. टी. के समक्ष उद्धृत

और आक्षेपित निर्णय और आदेश में संदर्भित, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः-

ई.

“42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम संहिता की स्थापना से ही संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होता है, इसलिए सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 आकर्षित होता है।“इसलिए मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है।यदि आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले चूक हुई है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत वर्जित किया जाएगा, सिवाय उन

मामलों के जहां मामले के तथ्यों में, सीमा अधिनियम की धारा 5 को इस तरह के आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने के लिए लागू किया जा सकता है।"

एफ.

12. राधा एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट Ltd.v में।के. पी. जयराम और अन्र. 2, इस न्यायालय ने बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) को संदर्भित किया।

जी.

और आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया।

1 (2019) 11 एससीसी 633 2 (2020) 10 एससीसी 538

एच.

928 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

13. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम वीर गुर्जर एल्यूमीनियम

इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और एन. आर. 3, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान की गई तीन साल की सीमा, जो चूक की तारीख से शुरू हुई थी, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत बढ़ाई जा सकती थी।

14. यह इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के बहुत सारे फैसलों और विशेष रूप से इस न्यायालय के फैसले से अच्छी तरह से तय होता है।

बी.

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में कि एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी.

सीमा की निर्धारित अवधि के बाद एक आवेदन/अपील पर विचार करने का विवेकाधिकार है।इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्त सीमा द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपील और/या आवेदन को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण का अस्तित्व है।

सी.

15. रामलाल में, मोतीलाल एंड छोटेलाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड 4,

इस न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कृष्ण बनाम चथप्पन 5 में लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की और कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 5 न्यायालय को एक विवेकाधिकार देती है, जिसका उपयोग उन सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए जिनमें न्यायिक शक्ति और विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो अच्छी तरह से समझे जाते हैं।

डी.

16. आवेदन या अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए पूर्ववर्ती शर्त, पर्याप्त कारण का अस्तित्व है।देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण "पर्याप्त कारण" होगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।कदम उठाने में देरी के लिए अपीलार्थी/आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है।
17. जब सीमा के आधार पर आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाती है, तो आवेदन दायर करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण बनाने की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर होती है।आई. बी. सी. के प्रवर्तन की तारीख और/या वह तारीख जिस पर आई. बी. सी. के तहत पहली बार आवेदन दायर किया जा सकता था, सीमा की गणना में प्रासंगिक नहीं हैं।यह मानना बेतुका होगा कि सी. आई. आर. पी. को आई. बी. सी. की धारा 7 या धारा 9 के तहत आवेदन दायर करके शुरू किया जा सकता है, उस तारीख से तीन साल के भीतर जिस दिन आई. बी. सी. के उन प्रावधानों के तहत पहली बार एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन किया जा सकता था, भले ही मुकदमा करने का अधिकार दशकों पहले प्राप्त हुआ हो।

ई.

एफ.

जी.

3 (2020) 15 एससीसी 1 4 ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 361

5 1889 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 1 ए

एच.

929

मेसर्स टी. एच. शार्प इंजीनियर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.संघवी मूवर्स लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

18. यह तथ्य कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन, आई. बी. सी. के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रवर्तन की तारीख से तीन साल के भीतर दायर किया गया हो सकता है, महत्वहीन है।क्या सामग्री है वह तारीख जिस पर मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है, और क्या कार्रवाई का कारण जारी रहता है।19. आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत आवेदन दायर करने में देरी के लिए प्रतिवादी द्वारा एक समानांतर मंच में कार्यवाही का लंबित होना पर्याप्त कारण नहीं है। जब तक आवेदन दायर किया गया, तब तक दावा सीमितता से वर्जित हो गया था।

बी.

20. प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान की मांग करते हुए 24 मई 2014 को जारी एक नोटिस में यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता अपने बकाया का भुगतान रुपये की पांच समान मासिक किश्तों में करने के लिए सहमत हो गया था।हालाँकि, अपीलार्थी ने जून, 2013 के महीने के लिए एक किस्त के भुगतान के बाद चूक की थी।मद्रास के उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका की एक प्रति पेपर बुक के साथ संलग्न है।प्रत्यर्थी ने दावा किया -

सी.

डी.

“याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना किसी वैध कारण के प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई सेवाओं के भुगतान में देरी की।बार-बार और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के बाद भी उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता को देय देय राशि का निपटान नहीं किया और इसलिए, याचिकाकर्ता ने 06.05.2013 दिनांकित एक नोटिस जारी किया और उत्तरदाता से भुगतान करने की मांग की।प्रत्यर्थी ने दिनांक 17.05.2013 पर एक उत्तर भेजा और उक्त उत्तर में प्रत्यर्थी ने बकाया राशि को स्वीकार किया और छह महीने में बकाया राशि का निपटान करने के लिए सहमत हुए और याचिकाकर्ता से छूट देने का अनुरोध किया।याचिकाकर्ता ने 1 जून, 2013 से शुरू होने वाली 10 प्रतिशत छूट और शेष राशि को 5 समान मासिक किश्तों में निपटाने के लिए एक प्रत्यावेदन जारी किया।हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 21.05.2013 पर दिया गया प्रस्ताव इस शर्त के अधीन है कि प्रत्यर्थी पांच मासिक किश्तों के लिए पोस्ट-डेटेड चेक जारी करेगा और उनका सम्मान करेगा।

ई.

एफ.

जी.

याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी ने दिनांक 07.06.2013 पर एक जवाब भेजा जिसमें कहा गया है कि वे 01.06.2013 पर पहली किस्त का भुगतान करने में असमर्थ हैं और सूचित किया कि उसी का भुगतान 20.06.2013 पर किया जाएगा।याचिकाकर्ता ने 14.06.2013 दिनांकित एक सुर-प्रत्युत्तर भेजा और प्रत्यर्थी को उनके द्वारा प्रस्तावित भुगतान अनुसूची के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा और यह बहुत स्पष्ट किया गया है।

एच.

कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई छूट और ब्याज की छूट सख्ती से इस शर्त पर है कि प्रतिवादी भुगतान अनुसूची का पालन करे।प्रत्यर्थी ने पहली किश्त का भुगतान किया और आगे कोई भुगतान करने में विफल रहा और इसलिए याचिकाकर्ता ने 02.08.2013 दिनांकित एक

अनुस्मारक भेजा।प्रत्यर्थी ने अपने वादे का सम्मान नहीं किया और दूसरी किश्त के लिए भुगतान करने में बुरी तरह विफल रहा और इसलिए याचिकाकर्ता को उनके प्रस्ताव को रद्द करने के लिए विवश किया गया और उसने 14.10.2013 दिनांकित नोटिस जारी किया जिसमें प्रत्यर्थी से ब्याज के साथ Rs.38,84,709/- (केवल अड़तीस लाख चौंसठ हजार सात सौ नौ रुपये) का भुगतान करने की मांग की गई।याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी ने दिनांक 07.11.2013 पर जवाब जारी किया और अपने वादे के अनुसार किश्तों का भुगतान न करने की पुष्टि की और आगे कहा कि प्रतिवादी ने आईओसीएल से याचिकाकर्ता को सीधे भुगतान करने का अनुरोध किया है और प्रतिवादी द्वारा आईओसीएल को भेजे जाने वाले एक मसौदा पत्र को भी संलग्न किया है। याचिकाकर्ता ने 09.11.2013 दिनांकित सुर री-प्रत्युत्तर भेजा और प्रत्यर्थी को सूचित किया कि प्रस्तावित छूट प्रत्यर्थी की ओर से विफलता के कारण वापस ले ली गई है।हालाँकि, प्रत्यर्थी के अनुरोध पर विचार करते हुए बकाया राशि को दो किश्तों में निपटाने का अंतिम अवसर दिया गया और यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि प्रत्यर्थी की ओर से बकाया राशि का भुगतान करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप छूट/छूट वापस ले ली जाएगी और प्रत्यर्थी को Rs.38,84,709/- (केवल अड़तीस लाख चौरासी हजार सात सौ नौ रुपये) की पूरी राशि का भुगतान करना होगा।”

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

21. परिसमापन याचिका के कथनों से यह स्पष्ट है कि 7 नवंबर 2013 के बाद दायित्व की कोई स्वीकृति नहीं थी।अंतिम भुगतान जून 2013 में किया गया था।

22. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने कहाः-

जी.

“आई एंड बी कोड, 2016 की धारा 9 के तहत दायर आवेदन के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि Rs.38,84,709/- की राशि का दावा देय हो गया है और 28.02.2013 पर देय है।कॉर्पोरेट देनदार द्वारा 07.11.2013 पर दावे की एक ही पुष्टि की जाती है जैसा कि ए रखे गए दस्तावेज़ से पता चलता है।

एच.

आवेदन के साथ दाखिल किए गए टाइप किए गए सेट के पृष्ठ 60 पर।इसके बाद, यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि किसी भी समय कॉर्पोरेट देनदार ने ऋण की पुष्टि/स्वीकार किया हो।

इन परिस्थितियों में, दावा समयबद्ध हो गया है और बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड-बनाम-पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1921) में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए, याचिका खारिज कर दी गई है।"

बी.

23. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि सीमा अधिनियम के प्रावधान आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर लागू होते हैं।सीमा अधिनियम की धारा 14 (2) जो कुछ परिस्थितियों में सीमा की अवधि की गणना में समय के अपवर्जन का प्रावधान करती है, निम्नानुसार प्रदान करती हैः

सी.

"14. अधिकारिता के बिना न्यायालय में ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय का बहिष्करण। —

डी.

(1) .....

(2) किसी भी आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, उस समय के दौरान जिसके दौरान आवेदक उसी राहत के लिए उसी पक्ष के खिलाफ किसी अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की अदालत में हो या अपील या संशोधन की, पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा है, को बाहर रखा जाएगा, जहां ऐसी कार्यवाही पर किसी ऐसे न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से इसे स्वीकार करने में असमर्थ है।"

ई.

एफ.

24. इसी तरह, सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत, विरोधी पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लिखित रूप में की गई और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित वर्तमान निर्वाह दायित्व की स्वीकृति, उस तारीख से सीमा

की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव डालती है, जिस दिन स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।हालांकि, सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति दी जानी चाहिए।

जी.

25. एक ऐसे मंच में सद्भावना से कार्यवाही जिसमें अधिकार क्षेत्र का अभाव है या जो समान प्रकृति के लिए मनोरंजन करने में असमर्थ है, सीमा को बचा सकती है।इसी तरह, दायित्व की स्वीकृति का प्रभाव सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का हो सकता है।

एच.

26. इस मामले में, अंतिम स्वीकृति 2013 में थी और मद्रास उच्च न्यायालय को न तो समापन आवेदन पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र के किसी भी दोष का सामना करना पड़ा और न ही समान प्रकृति के किसी अन्य कारण के लिए समापन आवेदन पर विचार करने में असमर्थ रहा।

27. एन. सी. एल. ए. टी. ने कहाः-

बी.

"ऊपर बताए गए तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि समापन याचिका मद्रास में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी जो अंतिम रूप नहीं ले पाई थी और इस बीच, जैसे ही 'आई एंड बी कोड' लागू हुआ, धारा 8 (1) के तहत मांग नोटिस 14 नवंबर, 2017 को ब्याज के साथ बकाया राशि के भुगतान के लिए जारी किया गया था।इस प्रकार, जैसा कि हम पाते हैं कि कार्रवाई का निरंतर कारण है, दावा सीमा की अवधि के भीतर है।अपीलार्थी कानून के अनुसार समय पर उचित राहत के लिए एक उपयुक्त मंच के समक्ष गया था और इसलिए हमारा मानना है कि अपीलार्थी का दावा सीमा द्वारा वर्जित नहीं है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 और 434 के तहत याचिका कानून के संचालन से निष्फल हो जाती है।"

सी.

डी.

28. मद्रास उच्च न्यायालय में समापन कार्यवाही शुरू करने की सीमा उस तारीख को बंद हो गई जिस दिन समापन याचिका दायर की गई थी।मद्रास उच्च न्यायालय में कार्यवाही शुरू करने से

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एन. सी. एल. टी. में सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए कार्यवाही शुरू करने की सीमा नहीं बचेगी।

ई.

29. किसी दावे को सीमा द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है।यह दावे की प्राप्ति का उपाय है, जो सीमा से बाधित हो जाता है।एन. सी. एल. ए. टी. का विवादित आदेश कानून में अस्थिर है।

एफ.

30. अपील की अनुमति है।एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

31. हालाँकि, यह निर्णय प्रत्यर्थी को किसी अन्य उपाय का अनुसरण करने से नहीं रोकेगा जिसका प्रत्यर्थी कानून के अनुसार लाभ उठाने और/या कानून के अनुसार किसी भी लंबित कार्यवाही को आगे बढ़ाने का हकदार हो सकता है।

जी.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

एच.